

बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक /

सं० सं०-०५ उ० नि०(अंके०) ४/१३

पटना, दिनांक.....

प्रेषक,

संयुक्त उद्योग निदेशक,
उद्योग निदेशालय,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महाप्रबंधक,
जिला उद्योग केन्द्र, सीवान, वैशाली, समस्तीपुर, सारण (छपरा), पूर्णिया, मुजफ्फरपुर,
मुंगेर, मधुबनी, मधेपुरा, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), भागलपुर, सहरसा, औरंगाबाद, बेगूसराय,
दरभंगा, जहानाबाद, पटना, गया, रोहतास (सासाराम), नवादा, कटिहार।

विषय : दिनांक 11.04.16 को माननीय वित्त मंत्री के द्वारा समीक्षात्मक बैठक में वित्त (अंकेक्षण) विभाग द्वारा निर्गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग :- वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पत्रांक 206 दिनांक 09.05.16 एवं उद्योग विभाग के पत्रांक 2225 दिनांक 16.05.16 तथा उद्योग निदेशालय के पत्रांक 2013 दिनांक 27.05.16, पत्रांक 2664 दिनांक 25.07.16, पत्रांक 3245 दिनांक 08.09.16 पत्रांक 231 दिनांक 27.01.17 तथा विभागीय कार्यवाही ज्ञापांक 1096 दिनांक 19.04.17, पत्रांक 2672 दिनांक 29.08.17, पत्रांक 3324 दिनांक 01.11.17, पत्रांक 3969, दिनांक 21.12.17, पत्रांक 369, दिनांक 24.01.18 एवं राज्य स्तरीय मासिक बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 2611, दिनांक 26.07.18, पत्रांक 3055, दिनांक 04.09.18 पत्रांक 3222, दिनांक 18.09.18, पत्रांक 3642, दिनांक 24.10.18

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र की ओर आपका व्यक्तिगत ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि वित्त (अंकेक्षण) विभाग द्वारा निर्गत 1989-90 से 2014-15 तक अंकेक्षण प्रतिवेदनों के लंबित कंडिका का अनुपालन प्रतिवेदन की मांग की गई है, जो अप्राप्त है। ज्ञातव्य हो कि इस संबंध में प्रधान सचिव महोदय के स्तर पर साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की जाती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर लंबित अंकेक्षण प्रतिवेदन के लंबित कंडिका का अनुपालन प्रतिवेदन अभिप्रमाणित साक्ष्य के साथ मंतव्य का कॉलम बनाते हुए दो प्रतियों में उपलब्ध कराने की कृपा करें।

विश्वासभाजन

ह०/-

संयुक्त उद्योग निदेशक
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3949

पटना, दिनांक 16.11.18

प्रतिलिपि :- आई०टी० मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/11/18
संयुक्त उद्योग निदेशक
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।
15/11/18